



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 77/2025

दायर दिनांक 02.12.2025

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

बनाम्

..... वादी

1. अशोक पुत्र नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 2. कमला पुत्री नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 3. बदाम पुत्री नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 4. रूपलाल पुत्र नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 5. सुमित्रा पुत्री नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 6. लादूलाल पुत्र नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 - 6.1 ओमप्रकाश पुत्र लादूलाल जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 - 6.2 हिम्मत पुत्र लादूलाल जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 - 6.3 भंवरी देवी पुत्री लादूलाल जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
 - 6.4 प्रेमदेवी पत्नी लादूलाल जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा
- प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. पैरोकार तहसीलदार।

02. एकपक्षीय - प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955



—: निर्णय :-

दिनांक :- 12 / 02 / 2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियाँ

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 217/83 रकबा 0.3399 हैक्टेयर किस्म बाराणी तृतीय नहरी भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 217/83 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 217/83 रकबा 0.3399 हैक्टेयर किस्म बाराणी तृतीय नहरी भूमि पर मौके पर अवैध खनन कार्य होकर मौके पर गड्ढा होकर पानी भरा होने से यह प्रतीत होता है कि खातेदारान सदभावी कृषक नहीं हैं।

अतः प्रतिवादीगण को ग्राम देवीनिवास की आराजी नम्बर 217/83 रकबा 0.3399 हैक्टेयर किस्म बाराणी तृतीय नहरी भूमि से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण को नोटिस/ रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई गई। जो शामिल पत्रावली हैं। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। जिसका अंकन ऑर्डरशीट पर किया हैं।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम देवीनिवास का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श-1 हैं, ग्राम देवीनिवास की जमाबन्दी नकल संवत् 2076-2079 पेश की हैं।

प्रकरण में वादी ने पी-डब्ल्यू- 1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

पी-डब्ल्यू-1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे द्वारा दिनांक 18.11.2025 को मौका पर्चा बनाया गया। मौका पर्चा के सभी तथ्य सही हैं। तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 18.11.2025 को ग्राम देवीनिवास के आराजी नम्बर 217/83 रकबा 0.3399 हैक्टेयर किस्म बाराणी तृतीय का मौका पर्चा मेरे द्वारा बनाया गया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त आराजी में अवैध खनन कार्य होकर वर्तमान में मौके पर गड्ढा होकर पानी भरा हुआ हैं। उक्त आराजी का उपयोग कृषि हेतु नहीं किया जाकर अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा हैं।



लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया।
प्रकरण में पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी के बयान के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

—: आदेश :—

अतः मौजा ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 217/83 रकबा 0.3399 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 12 / 02 / 2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अजीत/सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ





राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 77 / 2025

दायर दिनांक 02.12.2025

अनवान

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।
.....डिक्रीदार

बनाम

1. अशोक पुत्र नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
2. कमला पुत्री नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
3. बदाम पुत्री नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
4. रूपलाल पुत्र नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
5. सुमित्रा पुत्री नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
6. लादूलाल पुत्र नन्दा जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
- 6.1 ओमप्रकाश पुत्र लादूलाल जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
- 6.2 हिम्मत पुत्र लादूलाल जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
- 6.3 भंवरी देवी पुत्री लादूलाल जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
- 6.4 प्रेमदेवी पत्नी लादूलाल जाति कलाल सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

.....मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 12 / 02 / 2026

डिक्री दिनांक : 12 / 02 / 2026



:- डिक्री :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रुबरु न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादीगण एकपक्षीय के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :-

लगातार पेज संख्या 02 पर
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

अतः मौजा ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कार्यालय कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 217/83 रकबा 0.3399 हैक्टेयर किरम बाराणी तृतीय नहर से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर सक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिंग Nil

बाबत् Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil

फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil

का अदा करे ।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2026 को जारी किया गया ।

3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक		
मीजान			मीजान		



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां